<u>न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर</u>

<u>पीठासीन अधिकारी :- प्रदीपसिंह सांगावत, आर॰ए॰एस॰</u>

<u>प्रकरण संख्या 06/2020 (उदयपुर डिक्री)</u>

जयशंकर राय पिता जपुराम जी राय, निवासी 36, शही कॉम्पलेक्स कॉलोनी, सेक्टर नंबर 11, हिरण मगरी, उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्ट

<u>बनाम</u>

1. श्यामलाल पिता अमरा जी डांगी, निवासी घासा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. बाबूलाल पिता धन्ना जी सुथार, निवासी खाम की मादडी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती वरदी बेवा धन्ना जी सुथार, निवासी खाम की मादडी, तह0 मावली, जिला उदयपुर (मृतक) नाम रेकार्ड से हटाया गया
4. श्रीमती मोहनी बाई पत्नी छगनलाल जी सुथार, निवासी खाम की मादडी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा- 223 राजस्थान काश्त॰ अधि॰- 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी, मावली दि0 24-12-2019 प्रकरण संख्या 163/16

---/---

<u>उपस्थित</u> :- 1- श्री ओंकारलाल डांगी अभिभाषक अपीलान्ट

2- श्री भूरालाल डांगी अभिभाषक रेस्पो. सं. 1

3- श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक

---::---

<u>निर्णय</u> <u>दिनांक 25-04-2024</u>

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या [illegible] एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:38:05 IST
Reason: SelfAttested

किया कि मौजा खाम की मादडी में आराजी नंबर 1578 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा एवं आराजी नंबर 1579 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 11 बीघा 13 बिस्वा भूमि स्थित है। आराजी नंबर 1578 में वादी का 1/2 हिस्सा तथा आराजी नंबर 1579 में 2/5 हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का आराजी नंबर 1579 में 1/10 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 3 का सम्पूर्ण खाते में 1/2 हिस्सा दर्ज है एवं इसी अनुसार पक्षकारान उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे हैं। अतः विवादित आराजियात का मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 20–10–2016 को पक्षकारान की सहमति के आधार पर प्रारम्भिक डिक्री जारी की तत्पश्चात् प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 24–12–2019 को अंतिम डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 13–01–2020 को प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री भूरालाल डांगी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलान्टगण के विद्वान अभिभाषक ने बहस में बताया कि बंटवारा सूची जो भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा बनायी गयी है, वह प्रारम्भिक डिक्री अनुसार नहीं है। प्रारम्भिक डिक्री अनुसार अपीलान्ट का विवादित आराजियात में 1/2 हिस्सा दर्ज है तथा 1/2 हिस्से पर कब्जा चला आ रहा है। अपीलार्थी ने यह भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खातेदार भूरालाल से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:38:05 IST
Reason: SelfAttested

भूरालाल या अन्य किसी ने अपीलान्ट को यह नहीं बताया कि इस भूमि बाबत् कोई वाद चल रहा है, उसने ने खातेदारी देखकर भूमि क्रय की है। बंटवारा सूची में अपीलान्ट का 1/3 हिस्सा बताया गया है, जो गलत है। प्रारम्भिक डिक्री में न तो मोहनीबाई का नाम है, न ही भंवरीबाई का, फिर भी अंतिम डिक्री में मोहनीबाई का नाम अंकित कर दिया गया है, जो बिना अधिकार के है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं अंतिम डिक्री निरस्त की जावे।

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने उक्त बहस का जवाब देते हुए कि अधिनस्थ न्यायालय ने रेकार्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 24–12–2019 अनुसार अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा प्रारम्भिक डिक्री की पालना पर किसी प्रकार की विशेष आपत्ति नहीं किये जाने का अंकन है। हालांकि अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा दिनांक 23–12–2019 को प्रस्तुत की गयी आपत्ति संलग्न है, जिसमें उन्होंने बिन्दु संख्या 6 में यह अंकित किया है कि ''मोहनीबाई व भंवरीबाई विवादित भूमि में अपना कोई हक व अधिकार बताती हैं तो इस वाद में पक्षकार बन सकती है, जिसे सभी पक्षकारों की उपस्थिति में सुनवाई होकर हक व अधिकार तय होंगे।'' अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा यह आपत्ति दिनांक 23–12–2019 को प्रस्तुत की गयी, जिसमें उसने स्पष्ट अंकित किया है कि मोहनीबाई व भंवरीबाई विवादित भूमि में अपना कोई हक व अधिकार बताती हैं तो इस वाद में पक्षकार बन सकती है जबकि मोहनीबाई द्वारा इससे पूर्व ही

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:38:05 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 19–12–2019 को प्रकरण में पक्षकार बनने हेतु आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 जा.दी. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया गया था, जो वादी अधिवक्ता के नो–ऑब्जेशन पर उसी दिन अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाकर श्रीमती मोहनीबाई को प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 5 के रूप में संस्थित किये जाने के आदेश दिये गये हैं। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में आयी साक्ष्यों के आधार पर ही अंतिम डिक्री जारी की है, जो प्रथम दृष्टया विधि सम्मत होने से हम उसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं अंतिम डिक्री 24–12–2019 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 25–04–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:38:05 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.......भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰.........मुकाम........उदयपुर............
व इजलास ....प्रदीपसिंह सांगावत, आर॰ए॰एस॰ ....

जयशंकर राय पिता जपुराम जी राय, निवासी 36, शही कॉम्पलेक्स कॉलोनी, सेक्टर नं.11, हिरण मगरी, उदयपुर — <u>बनाम</u> — श्यामलाल पिता अमरा जी डांगी, निवासी घासा, तहसील मावली, जिला उदयपुर व अन्य

अपील नं॰.....06/20..........व नाराजगी डिगरी अदालत .....उपखण्ड अधिकारी...........
मावली........... मुकाम...............मुवर्खे.............24..............माह..............12............2019

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.........25....माह........04....सन् 2024 रूबरू.......पक्षकारान व हाजरी.....श्री ओंकारलाल डांगी.....मिनजानिब अपीलान्ट व........श्री भूरालाल डांगी

............रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 24—12—2019 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.......)........रूपये .... **X**...... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का......................... **X** ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.......25.......माह.......04..........2024 को जारी किया गया।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू—प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील			1. स्टाम्प वकालत नामा...		
2. स्टाम्प वकालत नामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. इजराय हुक्मनामा			3. इजराय हुक्मनामा		
4. वकील फीस बाबत			4. मेहनताना वकील...........		
मीजान			मीजान		

नोटः— इस खर्चे के फार्म पर तफसील का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:38:05 IST
Reason: SelfAttested